# फर्द अहकाम

मांगी बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

संख्या 03/2023

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 6/3/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस (सुनी) गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दस्तावेज (विक्रय पत्र [illegible]) पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 17/3/25 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> जमवारामगढ़ | |
| | 17/3/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं बहस का मनन किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। <br> निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। <br> पत्रावली [illegible] नकल निकल हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> जमवारामगढ़ | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| मिसल नं. | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 03 / 2023 | 04 / 01 / 2023 | 17 / 03 / 2025 |

1. नारंगी देवी पत्नि औंकार लाल जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर, केलनगढ़, मियाली की ढाणी जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादी

**दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट**

**–: निर्णयः–**

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 312, 313, 315, 316, 317 किता 5 कुल रकबा 6.3900है0 एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 0.08है0 अनुसार भूमि ग्राम नारदपुरा पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरित दर्ज होने से विवादित आराजियात है। वादग्रस्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार अपने हिस्से हिस्से अनुसार भूमि को प्रार्थीया ने जरिये पंजिबद्व विकय पत्र क्रय किया है, जिसके आधार पर नामा0 सं0 163 में प्रार्थीया का नाम मुताबिक विकय पत्र नारंगी देवी पत्नि औंकार लाल अनुसार अंकित किया गया था, लेकिन बाद में जमाबन्दी बनाते समय उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम नारायणी देवी पत्नि औंकारलाल दर्ज कर दिया गया जो कि राजस्व कर्मचारियों की भूल व चूक के द्वारा प्रार्थीया का नाम त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है। जबकि मुताबिक विकय पत्र एवं मुताबिक नामा0 एवं मुताबिक दस्तावेजात प्रार्थीया का नाम नारंगी देवी पत्नि औंकार लाल है। जो कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में राजस्व विभाग के द्वारा त्रुटिपूर्ण लिपिकीए तरीके से वादी का इन्द्राज खातेदारी में वादी का नाम नारंगीदेवी के बजाय नारायणी देवी गलत अंकित कर दिया गया है। जबकि साबिक रिकार्ड अनुसार वादी का सही दस्तावेजी एवं वास्तविक नाम नारंगीदेवी पत्नि औंकारलाल अनुसार है। जिसके अनुसार ही वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में वादी का इन्द्राज होना चाहिए। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के खातेदारी इन्द्राज नारायणी देवी पत्नि औंकारलाल के स्थान पर नारंगीदेवी पत्नि औंकारलाल अनुसार खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जावें तथा तदानुसार राजस्व इन्द्राज में शुद्धिकरण व दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांकरीडर/2024/216 दिनांक 29.01.2024 द्वारा रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी खाता सं0 4 मे खसरा नम्बर 312, 313, 315 से 317 कुल किता 5 कुलरकबा 3.39है0 तथा खसरा नम्बर 314 रकबा 0.08है0 गैर मुमकिन चाह में प्रार्थीया का नाम नारायणी देवी पत्नी औंकार लाल जाति माली सा0 केलनगढ जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया के दस्तावेजों आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, व राशन कार्ड में प्रार्थीया का नारंगी पत्नी औंकार लाल दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी खाता सं0 674 में खसरा नम्बर 312, 313, 315, 316, 317 कुल किता रकबा 6.39है0 व खाता सं0 65 में खसरा नम्बर 314 गै0मु0चाह में प्रार्थीया का नाम नारायणी पत्नी औंकार लाल हि0 1/5 जाति माली निवासी केलनगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर दर्ज है। नामा० सं० 163 मे विक्रय के द्वारा मदन मोहन, श्रीमोहन, राधामोहन, कृषण मोहन, अशोक कुमार पिता सीताराम जाति पुरोहित के बजाय श्रीमती नारंगी देवी पत्नी ओंकार लाल हिस्सा 1/5 पुत्र ब्रदी नारायण हि० 1/5, अर्जुन लाल पुत्र बद्रीनारायण हि० 1/5, गुलाब देवी पत्नि ओंकार लाल हि० 1/5 सुखदेव पुत्र बद्रीनारायण हि० 1/5 जाति माली निवासी केलनगढ जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर के नाम नामा० स्वीकृत है। जिसका जमाबन्दी संवत 2047 में नोट दर्ज रिकार्ड है। उसके पश्चात प्रार्थीया का नाम नारंगी के बजाय नारायण दर्ज हो गया है। जिसे प्रार्थी शुद्व/दुरूस्त करवाना चाहती है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम नारदपुरा पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर खसरा नम्बर 312, 313, 315, 316, 317 किता 5 कुल रकबा 6.3900है0 एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 0.08है0 अनुसार भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया। जिसे मुताबिक पंजिकृत विक्रय पत्र, एवं मुताबिक नामा0 एवं मुताबिक दस्तावेजात के दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किया जावें।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नारदपुरा पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 312, 313, 315, 316, 317 किता 5 कुल रकबा 6.3900है0 एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 0.08है0 में वादी का नाम नारायणी देवी पत्नि औंकारलाल के स्थान पर नारंगीदेवी पत्नि औंकारलाल घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ